(घ) यदि हां, तो किन किन नदियों को इन परियोजनाओं में शामिल किए जाने का विचार है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार द्वारा तैयार की गयी जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल का अंतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की मुख्य नदियों के बीच तथा हिमालयाई नदियों के बीच अलग-अलग अन्तःसम्पर्क को परिकल्पना की गयी है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय घटक का विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।

(ख) प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत चार उप घटक हैं जिनमें निम्नलिखित नदियां शामिल हैं :—

(1) महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई

(2) दमनगंगा, तांसा, पार, तापी, नर्मदा

(3) केन, बेतवा, कालीसिंध, चम्बल

(4) पम्बा, अचनकोविल, वैगई।

(ग) और (घ) निम्नलिखित नौ सम्पर्कों की प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की गयी हैं। ये निम्नवत हैं :—

(1) महानदी (मणिभाद्रा)—गोदावरी (दौलाईस्वरम) सम्पर्क

(2) केन-बेतवा सम्पर्क.

(3) पम्बा अचनकोविल-वैगई सम्पर्क केरल की पश्चिमी प्रवाही नदियां)

(4) पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क

(5) गोदावरी - (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क

(6) कालीसिंध-चम्बल सम्पर्क

(7) गोदावरी (इंचमपल्ली)—कृष्णा (पूलीचिन्ताला) सम्पर्क

(8) दमनगंगा-तांसा सम्पर्क और

(9) गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) सम्पर्क ।

ये रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गयी हैं। जल अन्तरण सम्पर्कों का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टें कितनी जल्दी तैयार की जाती हैं और उन विस्तृत परियोना रिपोर्टों पर बेसिन राज्यों के बीच मतैक्य/करार कब होता है ।

बांग्ला देश से जल का बंटवारा करना

1610. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांग्ला देश और भारत दोनों से होकर बहने वाली नदियों की संख्या 54 है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नदियों के/जल के बंटवारे के लिए बांग्ला देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं,

(ग) यदि नहीं तो उन नदियों की संख्या कितनी है जिन पर अब भी विवाद चल रहा है;

(घ) क्या इन विवादों के हल करने के लिए प्रयास किए गए हैं, यदि हां तो कब-कब और उनका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में सभी जल विवादों के निपटारे के लिए किसी एक मुश्त समझौते पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) बंगला देश ने भारत बंगला देश सीमा को पार करने वली 54 नदियां अभिज्ञात की

हैं। ये स्वतन्त्र नदियां नहीं हैं बल्कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली का एक भाग है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) बंगला देश के विचारार्थ भारत ने प्रस्ताव किया है कि शुरूआत में तौर पर जल के बंटवारे के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और मेघना नामक चार वृहद नदियों पर साथ-साथ विचार किया जाए ताकि एक की जल की कमी को दूसरी नदियों के अभिशेष जल से पूरा किया जा सके।

1611.[*Transferred to the 14th May*, 1992]

Water logging and salinity problem in the country

1612. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country is losing annually about 17 million tonnes of grains valued at nearly Rs. 7,000 crores, due to water logging and soil salinity problems caused by faulty irrigation and drainage practices, as per the news item entitled, "Water-logging a great bane", which appeared in the Times of India, dated 10th April, 1992;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) the areas affected by water logging and soil salinity; what remedial steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) There has been a news item to this effect.

(b) and (c) A working group appointed by the Ministry of Water Resources has submitted a report in April, 1992. The extent of land affected by water-logging in the commands of Irrigation Projects indicated therein is 2.46 m.h.a.; and the land affected by salinity and alkalinity as 3.30 m.ha. In addition to the improved water management practices already advocated for the command areas, it has been proposed to undertake detailed survey and investigations of the chronically affected areas through the Central Water Commission's field organisation and prepare appropriate drainage projects for those areas for implementation commencing from the 8th Plan.

Implementation of cauvery water tribunal award

1613. SHRI M. VINCENT:

SHRI J. P. JAVALI:

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Cauvery Water Tribunal has recently disallowed petition by Karnataka Government to review the award passed by the tribunal to release 205 TMC of water to Tamil Nadu;

(b) whether Karnataka Government have threatened to boycott the Cauvery Water Tribunal;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) what action Government have taken in the matter for early settlement of the water dispute?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The Cauvery Water Disputes Tribunal in their Order of April 3, 1992 observed that no interference is called for at this stage with their Order of 25-6-1991. They, however, clarified that in case there is any change of circumstance or undue hardship, in a particular year to any party, it will be open to such party to approach the Tribunal for appropriate orders.

(b) and (c) Central Government has not received any reference from Karnataka Government threatening to boycott the Cauvery Water Disputes Tribunal.